01/16
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सिंचाई प्रकरण संख्या 1/2016 रघुवीर उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र श्री हरि पदम निवासी चक 29 पीएस/ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1– स्टेट आफ राज0 2–अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन सर्किल, श्रीगंगानगर 3–अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन सर्किल, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर 4– देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.11.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी रघुवीर उर्फ रघुवीर सिंह के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। अप्रार्थी देवी लाल के अभिभाषक श्री जसवीर सिंह मिशन उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि:–

यह कि अप्रार्थी श्री देवीलाल पुत्र श्री भागीरथ ने अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर को एक प्रार्थीना पत्र दिनांक 10.10.2013 इस आश्य का प्रस्तुत किया कि चक 29 पी एस ए तहसील रायसिंहनगर के मु0 न0 62 के कि0न0 1, 9, 13, 17 व 25 में एक कुतरी खाल तथा मु0न0 68 के कि0न0 1, 9, 13, 17 व 25 में एक कुतरी खाल तथा मु0न0 63 के कि0न0 1 ता 5 में खाल स्वीकृत है और मौका पर चल रहा है लेकिन उक्त खाल कुतरी होने के कारण उसका रकबा दो भागो में बंट जाता है तथा खाल भराई भी ज्यादा होती है व उक्त खाल से सिंचाई भी नही हो रही है। इसलिए प्रार्थी उक्त खाल को निरस्त करवाकर इसके स्थान पर मु0न0 68 के कि0न0 1 ता 5 तथा कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 व मु0न0 62 के कि0न0 21 ता 25 में नया खाल स्वीकृत करवाना चाहता है जिसकी फीस भी प्रार्थी जमा करवाने को तैयार है और किसी को कोई ऐतराज भी नही है। इसलिए पूर्व में स्वीकृत खाल निरस्त किया जाकर मु0न0 68 के कि0न0 1 ता 5 व कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 व मु0 न0 62 के कि0न0 21 ता 25 में नया खाल स्वीकृत किया जावे।

उक्त प्रा0 पत्र पर 200रूपये फीस जरिये रसीद सं0 76 दनांक 30.10.13 को जमा करवाई गई और अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सिंचाई अधिनियम के नियम 4(2) के अन्तर्गत मु0न0 62, 68, 69, 70, 71, 220/301 के संबंधित प्रभावी व्यक्तियों को सूचना पत्र दिनांक 20.09.14 जारी किया जकर आपतियां आमन्त्रित की गई और संबंधित सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर से प्रतिवेदन तलब किया गया। संबंधित पक्षकारो की सुनवाई करने के पश्चात अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर द्वारा आदेश संख्या 7052 दिनांक 13.07.15 से प्रार्थी देवीलाल की मांग अस्वीकार कर दी और पूर्व में स्वीकृत जलमार्ग को यथावत रखा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
01/16 श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर के उक्त आदेश 13.07.2015 की अप्रसन्नता से प्रार्थी देवीलाल ने अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 36/2015 अनवानी देवीलाल बनाम रघुवीर सिंह प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 06.10.2015 के द्वारा स्वीकार की जाकर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर का आदेश दि0 13.07.2015 निरस्त कर चक 29 पीएस/ए के मु0न0 63 के कि0न0 1, 2, 3, 4, 5 पथर लाईन पर व मु0न0 62 के कि0न0 1 से 25 कुतरी जलमार्ग व मु0न0 68 के कि0न0 1 से 25 में स्वीकृत कुतरी जलमार्ग निरस्त किये जाकर मु0 न0 68 के कि0न0 1–2–3–4–5 व मु0न0 62 के किला न0 21–22–23–24 (कि0न0 25 में चक 29 पीएस/ए की सीमा तक) तथा शेष इसके साथ लगते मु0न0 69 के कि0न0 5 में (पथर नंबर 223/301 सक 221/301 तक) एवं मु0न0 68 के कला नम्बर 5, 6, 15, 16 एवं कि0न0 25 में आधा बीघा दूरी में शेष इसके साथ लगते मु0न0 69 के कि0न0 21 में (पथर नम्बर 222/301 से 222/302 तक) जलमार्ग स्वीकृत किया और उक्तानुसार रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश दिये गये।

अधीक्षण अभियन्ता के उक्त आदेश 06.10.2015 के विरूद्ध रघुवीर उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र श्री हरि पदम द्वारा एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 12160/ 2015 अनुवानी रघुवीर उर्फ रघुवीर सिंह बनाम स्टेट आफ राज0 एवं देवीलाल वगैरा पेश की जो माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.03.2016 के द्वारा इस आधार पर सुनवाई के लिए इस न्यायालय (जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) को प्रेषित किया कि अधीक्षण अभियन्ता के आदेश 06.10.2015 को ध्यान में रखते हुए एवं आदेश दिनांक 06.10.2015 के तहत किये गये कार्यो की प्रगति को ध्यान में रखते हुए संबंधित पक्षकारों को सुनकर उचित आदेश पारित किया जावे।

दोनो पक्षों द्वारा लिखित बहस भी पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी और पक्षकारो के विद्वान अभिभाषकगण की मोखिक बहस भी सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी रघुवीर उर्फ रघुवीरसिंह के विद्वान अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा का कथन था कि राज0 सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम 1954 के तहत संबंधित अधिशाषी अभियन्ता ही नया जलमार्ग स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने के लिए सक्षम है। अधीक्षण अभियन्ता को खाल स्वीकार करने अथवा निरस्त करने की कोई अधिकारिता नही है। इसलिए अधीक्षण अभियन्ता को अधिशाषी अभियन्ता के आदेश से सन्तुष्ट न होने पर पर उन्हें पुनः सुनवाई एवं निस्तारण के लिए प्रकरण रिमाण्ड करना चाहिए था। इसलिए उनका आदेश दिनांक 06.10.2015 निरस्त करने योग्य है और उस पर किसी प्रकार का कोई महत्व नही दिया जाना चाहिए।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
01/16 श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि देवीलाल का अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित करना कि पूर्व में स्वीकृत कुतरी खाल को निरस्त किया जावे ताकि उसका रकबा दो भागो में बंटने से बच सके, जो सही नही है। चूंकि मु0न0 62 का कुतरी खाल का हिस्सा देवीलाल की स्वयं की भूमि में है और इसी मुरबा न0 62 की शेष कृषि भूमि दूसरे चक में स्थित है जिसका मु0न0 62 के कुतरी खाल से कोई संबंध नही है। इसी प्रकार की स्थिति मु0न0 68 की भी है। इसलिए उक्त खाल कुतरी खाल की श्रेणी में नही आते है। पक्का खाल बनने से भी देवीलाल की कोई जमीन दो भागो में नही बंटती है बल्कि दोनो खालो के बीच में ही रहती है। इसलिए देवीलाल की कुतरी खाल निरस्त करने संबंधी मांग सही नही है। इसलिए अधिशाषी अभियन्ता का आदेश कायम रखा जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि अधीक्षण अभियन्ता ने जो पूर्व में स्वीकृत खाल एवं कुतरी खाल निरस्त किये है उससे सिंचाई में असुविधा होगी और **प्रस्तावित खाल से ढ़ाई ढ़ाई बीघा खाल की लंबाई बढ़ेगी और इससे निर्माण पर नरेगा योजना में अधिक खर्चा होगा।** कुतरी खालों को ध्यान में रखकर ही वित्तिय स्वीकृति जारी की हुई है और खाल परिवर्तन से अनावश्यक रूप से विवाद बढेगें और मु0न0 62, 63, 68 का खाला एम.जी. नरेगा में पक्का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और साढे चार मुरब्बा पक्का खाल बन चुका है और शेष पर निर्माण सामग्री भी मौका पर मौजूद है। इसलिए स्वीकृति कुतरी खाल में कोई परिवर्तन न किया जावे तथा पूर्व में स्वीकृत खाल व कुतरी खाल को यथावत रखा जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी देवीलाल के विद्वान अभिभाषक श्री जसवीर सिंह मिशन का कथन था कि अधिशाषी अभियन्ता द्वारा देवीलाल का प्रा0 पत्र कानूनी प्रावधानो व अभिलेख के विपरीत खारिज किया गया है जबकि पूर्व में स्वीकृत खाल एवं दोनो कुतरी खाल को निरस्त करने में किसी को कोई आपति नही थी केवल पेटीशनर रघुवीर ही विरोध कर रहा है जबकि पूर्व में स्वीकृत खाल को निरस्त करना सिंचाई सुविधा के हित में है जिससे सभी काश्तकारों को लाभ होगा। उनका आगे कथन था कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत किया गया खाल मौके पर चल रहा है और इस पर बारी बांधी जा चुकी है और एक मुरब्बा खाल लंबाई की बचत होने से सिंचाई सुविधा अच्छी मिलेगी और नरेगा में पक्का खाल बनने से सरकार को भी फायदा होगा। इसलिए अधीक्षण अभियन्ता का आदेश दिनांक 06.10.15 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी देवीलाल ने अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर को एक प्रार्थीना पत्र दिनांक 10.10.2013 इस आश्य का प्रस्तुत किया कि चक 29 पी एस ए तहसील रायसिंहनगर के मु0 न0 62 के कि0 न0 1, 9, 13, 17 व 25 में एक कुतरी खाल तथा मु0न0

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
01/16 श्रीगंगानगर

68 के कि0 1, 9, 13, 17 व 25 में एक कुतरी खाल तथा मु0न0 63 के कि0न0 1 ता 5 में खाल स्वीकृत है और मौका पर चल रहा है लेकिन उक्त खाल कुतरी होने के कारण उसका रकबा दो भागो में बंट जाता है तथा खाल भराई भी ज्यादा होती है व उक्त खाल से सिंचाई भी नही हो रही है। इसलिए प्रार्थी उक्त खाल को निरस्त करवाकर इसके स्थान पर मु0न0 68 के कि0न0 1 ता 5 तथा कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 व मु0न0 62 के कि0न0 21 ता 25 में नया खाल स्वीकृत करवाना चाहता है जिसकी फीस भी प्रार्थी जमा करवाने को तैयार है और किसी को कोई ऐतराज भी नही है। इसलिए पूर्व में स्वीकृत खाल निरस्त किया जाकर मु0न0 68 के कि0न0 1 ता 5 व कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 व मु0 न0 62 के कि0न0 21 ता 25 में नया खाल स्वीकृत करने की प्रार्थना की, जिस पर अधिशाषी अभियन्ता ने पक्षकारो को सुनकर अपने आदेश संख्या 7052 दिनांक 13.07.15 के द्वारा प्रार्थी देवीलाल की उक्त मांग अस्वीकार कर पूर्व में स्वीकृत जलमार्ग को यथावत कायम रखे जाने का आदेश दिया।

उक्त आदेश 13.07.2015 की अप्रसन्नता से अप्रार्थी देवीलाल ने अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 36/2015 अनवानी देवीलाल बनाम रघुवीर सिंह प्रस्तुत की जो अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकार की जाकर दिनांक 06.10.2015 को निम्न आदेश पारित किया:–

(स) अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट को सुनने एवे अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन उपरांत पाया कि:–

1–यह कि विभागीय रिकार्डनुसार चक 29पीएस/ए मुरब्बा न0 63 के किला नम्बर 1 से 5 पत्थर लाईन पर एवं मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 से 25 कुतरी जलमार्ग स्वीकृत है इसी प्रार मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1 से 25 में कुतरी जलमार्ग स्वीकृत है।

प्रार्थी इस स्वीकृत जलमार्ग को निरस्त करवाकर मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बा 1 से 5 एवं 5–6–15–16–25 एवं मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 से 25 पत्थर लाईन पर जलमार्ग स्वीकृत करवाना चाहता है। इस प्रस्तावित जलमार्ग के स्वीकृत होने पर जलमार्ग की एक मुरब्बा लम्बाई कम होगी जिससे जलमार्ग पक्का निर्माण करनें में राज्य सरकार का व्यय कम लगेगा तथा चक की सांझाी खाल भराई में भी बचत होगी।

2–यह कि मुरब्बा नम्बर 62 का कुतरी जलमार्ग के पश्चिमी/दक्षिणी भाग चक 29 पीएस/ए तथा उत्तर/पूर्वी भाग चक 45 पीएस मुरब्बा नम्बर 1 के रूप में स्थित है, चक 29 पीएस/ए मुरब्बा नम्बर 62 में कुतरी जलमार्ग निरस्त हो जाने से कुतरी जलमार्ग के नीचे आने वाली भूमि काश्त करने के काम आवेगी।

3–मुरब्बा नम्बर 68 में कुतरी जलमार्ग स्वीकृत होने से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट दोनो को ही अपनी भूमि जोत करने, सिंचाई करने आदि में दिक्कत होना स्वभाविक है। मुरब्बा नम्बर 68 में कुतरी जलमार्ग निरस्त होने से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनो को ही अपनी भूमि जोत एवं सिंचाई करने में आसानी होगी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
01/16 श्रीगंगानगर

4–यह कि चक 45 पीएस मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 25 का मालिक श्री दयाराम अपने रकबा में से जलमार्ग देने के लिए सहमत नही है। इसी प्रार मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 25 का काश्तकार श्री हरीपदम अपने किला नम्बर 25 के रकबा में से जलमार्ग देने से सहमत नही है।

इसके लिए अपीलांट के एडवोकेट द्वारा श्री रणवीर पुत्र ओमप्रकाश (मुरब्बा नम्बर 59 राजस्व किला नम्बर 5) के काश्तकार एवी इसी मुरब्बा की सावित्री पत्नि बलवन्त (मुरब्बा नम्बर 59 राजस्व किला नम्बर 21) के काश्तकारान का सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5–पत्रावली में उपलब्ध लेवल शीट का भी अवलोकन करने पर पाया कि मुरब्बा नम्बर 63, 62 एवं 68 में स्वीकृत जलमार्ग निरस्त कर प्रस्तावित जलमार्ग स्वीकृत करना तकनीकी दृष्टि से उचित है।

अतः उपरोक्त तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट की मांग स्वीकार कर एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलकृत आदेश कमांक 7052–53 दिनांक 13.07.15 निरस्त करते हुए चक 29 पीएस/ए मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 पत्थर लाईन पर एवं मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 से 25 कुतरी जलमार्ग एवं 68 के किला नम्बर 1 से 25 में स्वीकृत कुतरी जलमार्ग निरस्त किया जाकर मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1–2–3–4–5, मुरब्बा न0 62 के किला नम्बर 21–22–23–24 (कि0न0 25 में चक 29 पीएस/ए की सीमा तक) तथा शेष इसके साथ लगते मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 5 में (पत्थर नम्बर 223/301 से 221/301 तक) एवं मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 5–6–15–16 एवं कि0न0 25 में आधा बीघा दूरी में शेष इसके साथ लगते मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 21 में (पत्थर नम्बर 222/301 से 222/302 तक) जलमार्ग स्वीकृत किया जाता है। तदानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड में संशोधन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। ह0 अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर।

जहां तक पेटीशनर/प्रार्थी रघुवीर उर्फ रधुवीर सिंह के अभिभाषक का यह कथन कि अधीक्षण अभियन्ता को अधिशाषी अभियन्ता के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है न कि अपने स्तर पर नया खाल स्वीकृत करने का अधिकार है। इसलिए अधीक्षण अभियन्ता यदि अधिशाषी अभियन्ता के आदेश से सन्तुष्ट नही है तो उन्हे मामला रिमाण्ड करना चाहिए था। **इस सन्दर्भ में मैने** पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पेटीशनर/प्रार्थी रघुवीर उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र श्री हरि पदम द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के आदेश दिनांक 06.10.2015 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 12160/2015 अनुवानी रघुवीर उर्फ रघुवीर सिंह बनाम स्टेट आफ राज0 एवं देवीलाल वगैरा पेश की जो कि माननीय उच्च न्यायालय राज0 जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

16.03.2016 के द्वारा इस आधार पर सुनवाई के लिए इस न्यायालय (जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) को प्रेषित किया कि अधीक्षण अभियन्ता के आदेश 06.10.2015 को ध्यान में रखते हुए एवं आदेश दिनांक 06.10.2015 के तहत किये गये कार्यो की प्रगति को ध्यान में रखते हुए संबंधित पक्षकारों को सुनकर उचित आदेश पारित करने के आदेश दिये है। **इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पश्चात अधीक्षण अभियन्ता की अधिकारिता के संबंध में इस स्टेज पर इस बिन्दु पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के सन्दर्भ में अधीक्षण अभियन्ता के उक्त आदेश पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी रघुवीर उर्फ रघुवीरसिंह का उक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।**

जहां तक प्रार्थी रघुवीर उर्फ रघुवीर सिंह के अभिभाषक का यह कथन कि पूर्व में स्वीकृत खाल एवं कुतरी खाल निरस्त करने से खाल की लम्बाई ढाई ढाई बीघा बढ जायेगी जो सिंचाई हित में उचित नही है और नरेगा योजना के तहत स्वीकृत खाल को पक्का करने में अधिक व्यय होगा। इसलिए अधीक्षण अभियन्ता का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए और अधिशाषी अभियन्ता के आदेश को बहाल रखा जावे। इस सन्दर्भ में मैने अधीनस्थ न्यायालय अधिशाषी अभियन्ता की पत्रावली संख्या 556/2014 चक 29 पीएस/ए अनवानी देवीलाल बनाम शिवप्रकाश का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी देवीलाल (प्रार्थी) के प्रा0 पत्र पर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर से प्रतिवेदन संख्या 572 दिनांक 27.03.2014 प्राप्त किया गया जिसमें सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर ने निम्न प्रकार से अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है:—

> **अतः अध्यक्ष ज0उ0स0 व संबंधित कनिष्ठ अभिन्ता की रिपोर्ट अनुसार चक 29 पीएस/ए के मु0न0 62, 63 व 68 में मौका पर चल रहे जलमार्ग को निरस्त कर चक 29 पीएस/ए के मु0न0 68 के कि0न0 1 से 5 व 5, 6, 15, 16 व 25 मु0न0 62 में कि0न0 21 ता 25 में नया जल मार्ग स्वीकृत किया जाता है तो पूरे चक का जलमार्ग लम्बाई में एक मुरब्बा कम होगी, जो राज्य हित में है। इससे सिंचाई सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। अतः नया जलमार्ग स्वीकृत किया जाना व पुराना निरस्त किया जाना न्यायाचित रहेगा।**
> **ह0 सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर**

खाल स्वीकृति के संबंध में कोई भी आदेश सिंचाई की अच्छी सुविधा को ध्यान में रखकर पारित किया जाना चाहिए। अधीक्षण अभियन्ता ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2015 में प्रार्थी रघुवीर द्वारा उठाई गई आपतियों पर निम्न प्रकार से विचार किया है:—

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
01/16 श्रीगंगानगर

(स) अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट को सुनने एवे अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन उपरांत पाया कि:–

1–यह कि विभागीय रिकार्डनुसार चक 29पीएस/ए मुरब्बा न0 63 के किला नम्बर 1 से 5 पत्थर लाईन पर एवं मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 से 25 कुतरी जलमार्ग स्वीकृत है इसी प्रार मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1 से 25 में कुतरी जलमार्ग स्वीकृत है।

प्रार्थी इस स्वीकृत जलमार्ग को निरस्त करवाकर मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बा 1 से 5 एवं 5–6–15–16–25 एवं मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 21 से 25 पत्थर लाईन पर जलमार्ग स्वीकृत करवाना चाहता है। इस प्रस्तावित जलमार्ग के स्वीकृत होने पर जलमार्ग की एक मुरब्बा लम्बाई कम होगी जिससे जलमार्ग पक्का निर्माण करनें में राज्य सरकार का व्यय कम लगेगा तथा चक की सांझी खाल भराई में भी बचत होगी।

2–यह कि मुरब्बा नम्बर 62 का कुतरी जलमार्ग के पश्चिमी/दक्षिणी भाग चक 29 पीएस/ए तथा उत्तर/पूर्वी भाग चक 45 पीएस मुरब्बा नम्बर 1 के रूप में स्थित है, चक 29 पीएस/ए मुरब्बा नम्बर 62 में कुतरी जलमार्ग निरस्त हो जाने से कुतरी जलमार्ग के नीचे आने वाली भूमि काश्त करने के काम आवेगी।

3–मुरब्बा नम्बर 68 में कुतरी जलमार्ग स्वीकृत होने से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट दोनो को ही अपनी भूमि जोत करने, सिंचाई करने आदि में दिक्कत होना स्वभाविक है। मुरब्बा नम्बर 68 में कुतरी जलमार्ग निरस्त होने से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनो को ही अपनी भूमि जोत एवं सिंचाई करने में आसानी होगी।

इस प्रकार सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट संख्या संख्या **572 दिनांक 27.03.2014 के अनुसार** भी प्रार्थी रघुवीर का उक्त कथन कि प्रस्तावित खाल से खाल की लंबाई बढेगी और सिंचाई में असुविधा होगी और जलमार्ग निर्माण में व्यय अधिक होगा, स्वीकार करने योग्य नही है **क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता जो कि एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी है और उनके द्वारा अपने आदेश में उक्त बिन्दु पर विस्तृत विवेचन किया है** और तकनीकी दृष्टि से भी प्रस्तावित खाल स्वीकृत करना उचित माना है और मौके पर अधीक्षण अभियन्ता के आदेश 06.10.2015 से स्वीकृत खाल चालू है और पानी की बारी भी स्वीकृत खाल पर बांधी जा चुकी है और स्वीकृत खाल पक्का करना शेष है। चूंकि उक्त आदेश दि0 06.10.2015 से स्वीकृत खाल अच्छी सिंचाई सुविधा के हित में है और तकनीकी दृष्टि से भी उचित है। इसलिए इस खाल स्वीकृति में किसी प्रकार की कोई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है और न ही किसी प्रकार का कोई मुआवजा दिया जाना है। इसलिए अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर द्वारा अधिशाषी अभियन्ता का आदेश दिनांक 13.07.15 निरस्त करके जो अपना आदेश दिनांक 06.10.2015 पारित किया है वह सही है और पुष्ट करने योग्य है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
01/16 श्रीगंगानगर

 सिंचाई प्रकरण सं0 1/2016

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.10.2015 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत खाल व कुतरी खाल को निरस्त कर जो उक्त नया प्रस्तावित खाल स्वीकृत किया गया है, को पुष्ट किया जाता है और तदानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड में संशोधन किया जावे। आदेश की एक एक प्रति अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर व अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर को उनके कार्यालय के संबंधित अभिलेख सहित पालना के लिए भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर